



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228020
CG-DL-E-30062021-228020

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943

No. 186]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

मामला सं. एसएसआर-12/2021

विषय: चीन जन.गण., दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम से “इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न” के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/14/2021-डीजीटीआर.—मै. इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे “याचिकाकर्ता” अथवा “आवेदक” भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण., दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित “इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

- आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के और वहां से निर्यात संबद्ध वस्तु के पाटन, और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और संबद्ध देशों के मूल की

अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे को जारी रखने का अनुरोध किया है।

क. पृष्ठभूमि

- प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.2016 की अधिसूचना सं.14/29/2015-डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.03.2017-डीजीएडी की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/29/2015-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की थी जिसमें पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा चीन जन.गण., दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 03.05.2017 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क 02.05.2022 तक मान्य है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद 150 डेनियर तक और सहित सभी डेनियर का "इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न" है जिसमें कलर्ड यार्न और बीम टाइप इलास्टोमेरिक यार्न शामिल नहीं है। इन फिलामेंट यार्न को आम तौर पर स्पेन्डेक्स या इलास्टेन कहा जाता है। इन यार्नों को बाजार की भाषा में "लाइक्रा" भी कहा जाता है। यद्यपि, यह एक विशिष्ट ब्रांड नाम है। इन्हें तकनीकी रूप से सेगमेंटेड पालीयूरेथीन बताया जाता है जो सॉफ्ट या लचीले सेगमेंट से निर्मित हार्ड या कठोर सेगमेंट से जोड़ा गया होता है। इससे फाइबर को अंतरनिहित और दीर्घावधिक लोचशीलता मिलती है। यह एक इलास्टोमेरिक फाइबर होता है जिसका व्यापक रूप से स्ट्रेच परिधानों में छोटे घटक के रूप में स्ट्रेच रिकवरी प्रदान करने हेतु प्रयोग होता है। यह बताया गया है कि ऊपर यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में था। आवेदक ने कीमत विश्लेषण के लिए मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रयोग किया है।
- संबद्ध उत्पादों को अध्याय शीर्ष 54 के तहत "मानव निर्मित फिलामेंट; स्ट्रिप और मानव निर्मित वस्त्र सामग्री" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 54041100 है। यद्यपि इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के विभिन्न उप शीर्षों यथा 5402, 5403 और 5404 के तहत भी वर्गीकृत या आयातित किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
- चूंकि वर्तमान याचिका निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है इसलिए स्थापित न्याय शास्त्र और प्राधिकारी की पूर्व परिपाटी के अनुसार विचाराधीन उत्पाद वहीं होगा जो मूल जांच में परिभाषित था।

ग. समान वस्तु

- आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित पीयूसी के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

- यह आवेदन मै. इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अलावा वे भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि उनके अलावा भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र अन्य उत्पादक होशियांग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है तथापि, वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों से संबंधित हैं और उन्होंने संबद्ध वस्तु का आयात भी किया है।
- उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

ड. संबद्ध देश

- वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण., दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम हैं।

च. पाटन के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना**सामान्य मूल्य**

11. आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। अतः आवेदक ने दावा किया है कि इसके अनुपालन में बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी उचित तीसरे देश में कीमतों या परिकलित मूल्य, ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, इसके संबंध में कोई सत्यापन योग्य या प्रकाशित साक्ष्य नहीं है। अतः संबद्ध वस्तु के लिए चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर परिकलित किया गया है।
12. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वे अन्य संबद्ध देशों में भी सामान्य मूल्य के संबंध में कोई सत्यापन योग्य या प्रकाशित साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे। अतः संबद्ध वस्तु के लिए दक्षिण कोरिया, ताइवान, और वियतनाम में भी सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर परिकलित किया गया है।

निर्यात कीमत

13. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत परिकलित की है। ताइवान से निर्यात कीमत के लिए आवेदक ने ट्रेड मैप आंकड़ों पर भरोसा किया है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन/ व्यापारी का लाभ तथा गैर वापसी योग्य वैट (केवल चीन के लिए) हेतु सभी संबद्ध देशों के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अनुमानों पर विचार करते हुए संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। परिणामी पाटन मार्जिन काफी अधिक है और न्यूनतम सीमा से भी अधिक है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पाटन कीमतों पर निर्यातित की जा रही है। इस प्रकार, पाटन के जारी रहने की संभावना है।

क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

15. सकारात्मक पाटन मार्जिन, सकारात्मक मूल्य कटौती, लाभ की हानि, आरओसी पर नकारात्मक प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन के जारी रहने/पुनरावृत्ति और क्षति की संभावना का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। इसके अलावा, संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताएं, संभावित व्यापार विपथन और भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता भी कारक हैं। यह प्रथमदृष्टया नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने / उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

छ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा एडीडी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. जांच की अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 तक (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में 2017- 18, 2018- 19, 2019- 20 की अवधियां और जांच अवधि और जांच की अवधियां शामिल होंगी।

झ. प्रक्रिया

18. इस समीक्षा में दिनांक 24.03.2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/29/2015-डीजीएडी जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी के सभी पहलू शामिल होंगे ।
19. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और ddl5dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।
21. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में पीयूसी से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की सरकारी वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और ddl5dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।
29. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

ढ. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2021

Case No. SSR- 12/2021

Subject:-Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of Elastomeric Filament Yarn from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam

F. No. 7/14/2021-DGTR.—M/s. Indorama India Private Limited (hereinafter also referred to as 'petitioner' or 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Rules'), for Sunset Review of Anti-Dumping duty imposed on the imports of "Elastomeric Filament Yarn", (hereinafter also referred to as 'subject goods' or 'product under

consideration' or "PUC") originating in or exported from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam (hereinafter also referred to as the 'subject countries').

2. The applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in or exported from subject countries and consequent injury to the Domestic Industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority vide Notification No. 14/29/2015-DGAD dated 27.01.2016. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/29/2015-DGAD dated 24.03.2017, recommending therein the imposition of definitive anti-dumping duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the Final Findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notifications No. 15/2017-Customs (ADD) dated 03.05.2017 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam. The existing anti-dumping duty is valid up to 02.05.2022.

B. Product under Consideration

4. The product under consideration in the present application is "Elastomeric Filament Yarn of all deniers up to and including 150 Deniers, excluding coloured yarns and Beam type Elastomeric yarns." These filament yarns are also commonly referred to as Spandex or Elastane. These yarns are also colloquially referred to as "Lycra" in the market even though it is a specific brand name. These are described in technical terms as segmented polyurethane composed of "soft", or flexible, segments bonded together with "hard", or rigid segments. This gives the fibre its built-in, lasting elasticity. It is an elastomeric fibre used widely as the minor component in stretch garments to provide stretch with recovery. It is to be noted that the product under consideration as defined above is the same as was in the original investigation. The applicant has used the product control numbers (PCN) issued by the Authority in the original investigation for price analysis.
5. The subject products are classified under Chapter Heading 54 "Man-made filaments; strips and the like of man-made textile materials". The classification at the 8-digit level is 54041100 even though the product is being classified and imported under various sub-headings like 5402, 5403 and 5404 of the Customs Tariff Act, 1975. It is also to be noted that the custom classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.
6. The present petition being for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the Product under Consideration remains the same as defined in the original notification.

C. Like Article

7. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the PUC being imported from the subject countries.

D. Domestic Industry & Standing

8. The application has been filed by M/s. Indorama India Private Limited. The applicant has certified that it has not imported the product under consideration from the subject countries. Further, they are not related to any importer of the subject goods in India. The applicant has also submitted that apart from them, there is only one other producer of the subject goods in India, namely, Hyosung India Pvt. Ltd., but Hyosung is related to exporters of the subject goods from subject countries and has also imported the subject goods.

9. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

E. Subject Countries

10. The subject countries in the present investigation are China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam.

F. Likelihood of continuation or recurrence of dumping

Normal value

11. The Applicant has submitted that the Normal Value for China PR should be determined as per Para 7 of Annexure I of the Anti-Dumping Rules, 1995. Therefore, the Applicant has claimed that pursuant to the same, efforts were made to determine normal value on the basis of prices or constructed value in an appropriate market economy third countries or price from such a third countries to other countries, including India. However, there is no verifiable or published evidence regarding the same. Therefore, for the purpose of initiation of the investigation the normal value in China PR for the subject goods has been constructed by the Authority on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin.
12. The Applicant has submitted that they were not able to obtain verifiable or published evidence regarding normal value for other subject countries also. Therefore, for the purpose of initiation of the investigation the normal value in South Korea, Taiwan and Vietnam for the subject goods has also been constructed by the Authority on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profit margin.

Export Price

13. The Authority has computed the export price for the subject countries on the basis of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. For export price from Taiwan, the applicant has relied upon Trade Map data. Price adjustments for all the subject countries have been claimed on account of ocean freight, inland freight, ocean insurance, bank charges, commission/trader's profit and non-refundable VAT (for China only).

Dumping Margin

14. Dumping margin has been determined for the subject countries considering the estimates of Normal Value and Export Price. The resultant dumping margin is significant and much above de-minimus limit. There is prima facie evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net Export Price, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being exported at dumped prices, thus indicating likelihood of continuation of dumping.

Likelihood of continuation or recurrence of injury

15. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, considering positive dumping margin, positive price undercutting, loss of profit, negative returns on ROC. Moreover, there is excess capacities in subject countries, potential trade diversion and price attractiveness of Indian market. It is prima facie noted that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty.

G. Initiation of sunset review investigation

16. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry about the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

H. Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation for the present investigations is January, 2020 to December, 2020 (12 months). The injury investigation period will cover the periods 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the period of investigation.

I. Procedure

18. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No. 14/29/2015-DGAD dated 24.03.2017 recommending imposition of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from subject countries.
19. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

J. Submission of information

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-J9 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email address adgl5-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, ddl5 dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
21. The known exporters in the subject countries, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the PUC and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a nonconfidential version of the same available to the other parties.
24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. Time-Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adgl5-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir15-dgtr@gov.in and ddl5-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

L. Submission of Information on Confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
29. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and /or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed

because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

35. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

N. Non-Cooperation

36. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority